THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : During the last three years, airstrips have been constructed only at Jogbani (North Bihar) and Hassan (Mysore).

A statement showing the air-routes introduced during the last three years is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3441/70]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता दिया जाना

9019. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के 90 प्रतिशत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दिल्ली में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की स्थिति में नहीं हैं और उन्हें अपने बच्चों को गांवों में शिक्षा दिलाने की स्थिति में बाल शिक्षा भत्ता मिलता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके बच्चों के अपने मां-बाप की देख-रेख में न होने के कारण, बच्चों के चरित्र तथा उच्च शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है :

(ग) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से उनके बच्चों को दिल्ली तथा नई दिल्ली में प्रथम कक्षा से ग्यारहवीं कक्षा तक शिक्षा दिलाने हेतु उन्हें बाल शिक्षा भत्ता देने का है जैसे वे गांवों में प्राप्त कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त प्रस्ताव को शिक्षा वर्ष 1970 से लागू किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और संबंधित प्राधिकारियों से एकत्रित की जा रही है। इसे यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) से (ङ). अपने अपने ड्यूटी के स्थानों (दिल्ली और नई दिल्ली सहित) में रह रहे और पढ़ रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के संबंध में अनुमोदित दरों पर वित्तीय सहायता (ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की योजना) की योजना पहले ही से विद्यमान है। इसलिए इसके अतिरिक्त इसके एवज में बाल शिक्षा भत्ते को स्वीकृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दी टाइपराइटिंग तथा शार्टहैण्ड प्रशिक्षक के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र

9020. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या गृह-कार्य मंत्री दिनांक 29 नवम्बर, 1969 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 41 की मद संख्या 11 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हिन्दी टाइपराइटिंग और स्टैनोग्राफी प्रशिक्षक के पद के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे तथा उनमें से कितने उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी और उनकी योग्यता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव है कि जिन कर्मचारियों ने विभिन्न केन्द्रों से 100 शब्द् प्रति मिनट की गति से हिन्दी शार्टहैण्ड की परीक्षा पास कर ली है उन्हें उक्त पद के लिये होने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय ;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1970 में ऐसा किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) संघ लोक सेवा आयोग के 29 नवम्बर, 1969 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 48 (न कि 41) के सत्र में हिन्दी टाइपराइटिंग तथा शार्टहैंड प्रशिक्षक के पदों के लिए अनुसूचित जाति के 3 उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र दिये हैं। परीक्षा/इन्टरव्यू के लिये उम्मीदवारों का प्राथमिक चयन किया जा रहा है ।

(ख) से (घ) हिन्दी शार्ट हैण्ड में 100 शब्द प्रति मिनट की गति समेत इन पदों के लिए अनिवार्य अर्हताएं विज्ञापन में पहले ही बता दी गई हैं । ऐसे उम्मीदवारों को, जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाते हैं, इस भर्ती के संबंध में ली जाने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी । आशा है कि यह परीक्षा 1970 में ली जाएगी ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आपरेटरों की भर्ती

9021. **श्री वंश नारायण सिंह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 12 और 29 दिसम्बर को एक आपरेटर के पद के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक परीक्षा ली थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिस पद के लिये उक्त परीक्षा ली गई थी वह अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस पद पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया गया था और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो उस आरक्षित पद पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) 29 नवम्बर 1969 को टेलीफोन प्राधिकारियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक टेलीफोन आपरेटर के पद के लिए परीक्षा ली थी और जो उम्मीदवार क्रियात्मक परीक्षा में सफल हुए थे उनका आयोग की एक चयन समिति ने 18 दिसम्बर 1969 को साक्षात्कार किया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) : क्योंकि क्रियात्मक परीक्षा में अनुसूचित जाति का कोई भी उम्मीदवार सफल नहीं हुआ था इसलिए ऐसे किसी उम्मीदवार के चयन का प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में नियुक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

9022. **श्री वंश नारायण सिंह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ श्रेणी से राजपत्रित अधिकारियों तक विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग में कार्य कर रहे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है तथा प्रत्येक उक्त श्रेणी में अलग अलग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय के आदेशों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को पर्याप्त आरक्षण नहीं दिया गया है ;